न्यूज़ टुडे

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) सभा का आठवां सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के बारे में

- **उत्पत्ति:** यह एक **वैश्विक अंतर-सरकारी संगठन** है। इसे **2015 में भारत और फ्रांस ने पेरिस में COP-21** के दौरान लॉन्च किया था।
  - यह **ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन है।**
- **मुख्यालय: गुरुग्राम,** भारत। यह ऐसा **पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय भारत** में है।
- **सदस्यता: 124 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश।**
  - ISA के फ्रेमवर्क समझौते में **2020 में संशोधन** किया गया था। इसके बाद, अब **सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश इस गठबंधन में शामिल** होने के पात्र हैं।
- **उद्देश्य:** समुदायों तक **स्वच्छ, विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा** को पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।
- **मिशन:** प्रौद्योगिकी और वित्त-पोषण लागत को कम करते हुए **2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश** प्राप्त करना।
- **सहयोगात्मक पहलें:** इसमें सोलरएक्स (SolarX) स्टार्ट-अप चैलेंज; स्टार-सी (STAR-C) पहल; ग्लोबल सोलर फैसिलिटी; वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG) आदि शामिल हैं।

इस सत्र के मुख्य परिणामों पर एक नजर

- **सनराइज/ SUNRISE (सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क फॉर रीसाइक्लिंग, इनोवेशन एंड स्टेकहोल्डर इंगेजमेंट) का शुभारंभ:** इसे सोलर पैनल, उपकरणों आदि से संबंधित अपशिष्ट की रीसाइक्लिंग करने, हरित रोजगार सृजित करने और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल के रूप में शुरू किया गया।
- **लघु द्वीपीय विकासशील देश (SIDS) खरीद समझौता ज्ञापन:** 16 लघु द्वीपीय विकासशील देशों ने **ISA-विश्व बैंक प्लेटफॉर्म** के तहत समन्वित रूप से सौर ऊर्जा उपकरणों की खरीद और क्षमता निर्माण के लिए साझेदारी की।
- **ISA की प्रमुख रिपोर्ट्स जारी की गईं: ईज़ ऑफ डूइंग 2025; सोलर ट्रेंड्स 2025** आदि।
- भारत में **सौर ऊर्जा के लिए सिलिकॉन वैली** बनाने हेतु **वैश्विक क्षमता केंद्र** का अनावरण किया गया। साथ ही, **ISA अकादमी** (AI-आधारित ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म) का शुभारंभ भी किया गया।

UNFCCC ने पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) पर एक संश्लेषण रिपोर्ट जारी की

NDCs पेरिस समझौते के **अनुच्छेद 4** के तहत **राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम** करने और **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन** के लिए प्रत्येक देश के प्रयासों को दर्शाते हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- रिपोर्ट में पाया गया कि **64 पक्षकार देशों द्वारा प्रस्तुत NDCs** वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने के लिए आवश्यक उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य से काफी पीछे हैं। ये पक्षकार देश **2019 में वैश्विक उत्सर्जन के लगभग 30% हिस्से** के लिए जिम्मेदार थे।
- **1.5°C लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2035 तक उत्सर्जन में 60% की कटौती** जरूरी है,
  - हालांकि, **NDCs के परिणामस्वरूप 2035 तक केवल 17% की गिरावट** आने का अनुमान है।
- इसके अतिरिक्त, **विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन** के अनुसार, 2024 में वातावरण में **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), मीथेन (CH_2) और नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O)** का स्तर अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया था।
- **अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:**
  - **उत्सर्जन ट्राजेक्टरीज़:** नए NDCs लागू करने पर **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पहले चरम पर पहुंचेगा और फिर 2035 तक उसमें तेज गिरावट** आएगी।
  - **दायरे में सुधार:** नए NDCs की **गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार** हुआ है। अब **89% देशों** ने पूरे अर्थतंत्र के स्तर पर लक्ष्य तय किए हैं, जबकि पहले यह आंकड़ा 81% था।
  - **कंडीशनैलिटी गैप: वनीकरण, पुनर्वनीकरण और सौर ऊर्जा जैसे प्रमुख शमन उपायों में उच्च कंडीशनैलिटी गैप** हैं, यानी इन योजनाओं की सफलता काफी हद तक बाहरी वित्तीय सहायता पर निर्भर है।
  - **निजी वित्त: कम लाभप्रदता** के कारण निजी वित्त जुटाने में कठिनाइयां बनी हुई हैं।

भारत के NDCs (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान):

- भारत ने **अगस्त 2022** में अपने **अपडेटेड प्रथम NDCs** प्रस्तुत किए थे। इनमें वर्ष **2030** तक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए गए हैं-
  - अपने GDP की उत्सर्जन तीव्रता को **2005** के स्तर की तुलना में **45%** तक घटाना।
  - गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से कुल स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग **50%** हासिल करना।
  - वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि के माध्यम से **2.5 से 3 बिलियन टन** कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य का **अतिरिक्त कार्बन सिंक** बनाना।

विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (CSE) ने "संधारणीय खाद्य प्रणाली रिपोर्ट" जारी की

इस रिपोर्ट में **भारत में मृदा स्वास्थ्य की स्थिति को उजागर** किया गया है। **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना** के आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट में **भारतीय मृदा में पोषक तत्वों की गंभीर कमी** पाई गई है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **मृदा पोषक तत्वों की कमी:**
  - **नाइट्रोजन:** मृदा के 64% नमूनों में **नाइट्रोजन (N) की मात्रा 'कम'** पाई गई है।
  - **मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन (SOC) की कमी:** मृदा के परीक्षण किए गए नमूनों में से **48.5% में SOC की कमी** पाई गई है। SOC **मृदा संरचना और सूक्ष्मजीवों की प्रचुरता** का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
    - **'अत्यंत उच्च'** जलवायु जोखिम वाले **43% से अधिक जिलों** में भी SOC का स्तर **कम** है।
  - **सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी:** मृदा के 55.4% नमूनों में **बोरॉन की मात्रा कम** पाई गई, तथा **35% में जिंक की मात्रा कम** पाई गई।
- **यूरिया की उच्च खपत:** उर्वरकों में **सर्वाधिक उपयोग यूरिया** का किया जा रहा है। 2023-24 में कुल उर्वरक उपयोग में **लगभग 68 प्रतिशत** भागीदारी यूरिया की रही है।

मृदा में पोषक तत्वों की कमी के प्रभाव

- यह **फसल उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा, किसान की आय और संधारणीय कृषि** के लिए खतरा है।
- इससे **कार्बन अवशोषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की क्षमता में गिरावट** आती है।

इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) के अंतर्गत मृदा निगरानी के वर्तमान स्तर को बढ़ाया** जाना चाहिए। इसमें **भौतिक (बनावट, संघनन आदि) और जैविक (सूक्ष्मजीव संबंधी गतिविधि)** संकेतक शामिल किए जाने चाहिए।
- उर्वरकों के संतुलित और दक्ष उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए **उर्वरकों से संबंधित सब्सिडी नीति में आवश्यक सुधार** करने चाहिए।
- **मृदा की उर्वरता, नमी प्रतिधारण क्षमता और कार्बन भंडारण** की क्षमता में सुधार के लिए **बायोचार** का उपयोग करना चाहिए।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना, 2015 के बारे में

- इसे **कृषि एवं किसान कल्याण विभाग** द्वारा लागू किया जा रहा है
- इसका उद्देश्य **मृदा की उर्वरता का आकलन करना और किसानों को पोषक तत्व-आधारित सिफारिशें या सलाह प्रदान** करना है।
- **इसके तहत निम्नलिखित 12 रासायनिक संकेतकों को मापा जाता है:**
  - नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर (मैक्रोन्यूट्रिएंट्स); जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन (माइक्रोन्यूट्रिएंट्स); तथा pH, विद्युत चालकता और ऑर्गेनिक कार्बन।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को **वर्ष 2022-23 से 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' (RKVY) कैफेटेरिया स्कीम में 'मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता'** नामक घटक के रूप में शामिल कर लिया गया है।

नीति आयोग ने भारत के सेवा क्षेत्रक पर दो रिपोर्ट जारी की

इन रिपोर्ट्स के शीर्षक हैं: **"इनसाइट्स फ्रॉम GVA ट्रेंड्स एंड स्टेट-लेवल डायनैमिक्स"** तथा **"इनसाइट्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड स्टेट-लेवल डायनैमिक्स"**

रिपोर्ट्स के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **भारत के रोजगार संक्रमण के केंद्र में सेवा क्षेत्रक**
  - 2023–24 में, सेवा क्षेत्रक ने **188 मिलियन कामगारों** को रोजगार प्रदान किया था, और यह **दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता** रहा।
  - 2024–25 में, सेवा क्षेत्रक का **सकल मूल्य वर्धित (GVA)** में लगभग 55% का योगदान रहा, जबकि **प्राथमिक क्षेत्रक का 16% और द्वितीयक क्षेत्रक का 29%** योगदान रहा।
    - GVA में इतना अधिक योगदान देने के बावजूद, यह **कुल रोजगारों के एक तिहाई से भी कम** रोज़गार प्रदान करता है, उनमें भी ज़्यादातर **अनौपचारिक और कम वेतन** वाले होते हैं।
- **रोज़गार परिदृश्य**
  - सेवा क्षेत्रक में पिछले 6 वर्षों में लगभग **40 मिलियन नौकरियां** जोड़ी गई, जो इस मामले में **निर्माण क्षेत्रक** के बाद **दूसरे स्थान** पर रहा।
  - यह क्षेत्रक **श्रम के लिए एक आघात अवशोषक** के रूप में कार्य करता है, लेकिन यह दो भागों में बंटा हुआ है:
    - **उच्च-मूल्य वाली सेवाएं (जैसे- आईटी, वित्त, स्वास्थ्य सेवाएं, और व्यावसायिक सेवाएं):** ये उत्पादक हैं, लेकिन इनमें रोजगार सीमित है।
    - **पारंपरिक सेवाएं (जैसे- व्यापार, परिवहन आदि):** ये प्रमुख नियोक्ता हैं, फिर भी अत्यधिक **अनौपचारिक** हैं।
  - भारत का सेवा क्षेत्रक की ओर संक्रमण इसके समकक्ष देशों की तुलना में **धीमा** है।
- **रोजगार प्रोफ़ाइल**
  - **स्थानिक:** शहरी कामगारों में 60% सेवा क्षेत्रक में हैं, जबकि ग्रामीण कामगारों में **20% से भी कम** सेवा क्षेत्रक में हैं।
  - **जेंडर:** शहरी महिलाओं में 60% सेवा क्षेत्रक में हैं, जबकि ग्रामीण महिलाओं में केवल 10.5% हैं। दोनों में **पारिश्रमिक का अंतर** बना हुआ है।
  - **आयु:** यह क्षेत्रक मुख्यतः **मध्यम आयु वर्ग (Prime-age)** के लोगों द्वारा संचालित है। **युवा वर्ग** को अस्थिरता का सामना करना पड़ता है।
  - **शिक्षा:** उच्चतर शिक्षा से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, लेकिन अनौपचारिकता फिर भी बनी रहती है।
  - **अनौपचारिकता:** लगभग 87% **कामगारों के पास सामाजिक सुरक्षा** नहीं है; ग्रामीण महिलाओं की आय पुरुषों की तुलना में **50% से भी कम** है।

परिवर्तन के लिए रोडमैप

- **अनौपचारिक, गिग और MSME क्षेत्रक** के कामगारों के लिए **औपचारिकता एवं सामाजिक सुरक्षा** सुनिश्चित करनी चाहिए।
- **महिलाओं और ग्रामीण युवाओं** को कौशल विकास एवं डिजिटल उपकरणों के माध्यम से समान अवसरों तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए।
- **डिजिटल और हरित नौकरियों** के लिए **प्रौद्योगिकी आधारित कौशल प्रशिक्षण** को बढ़ावा देना चाहिए।
- **टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में सेवा केंद्रों और राज्य-स्तरीय क्लस्टरों** के माध्यम से **संतुलित क्षेत्रीय विकास** को प्रोत्साहित करना चाहिए।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार टाइगर रिज़र्व से वनवासियों का स्थानांतरण स्वैच्छिक होना चाहिए

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को **"संरक्षण एवं सामुदायिक अधिकारों में सामंजस्य: भारत के टाइगर रिज़र्व में सह-अस्तित्व और पुनर्वास के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क"** शीर्षक से एक संक्षिप्त विवरण भेजा है।

इस विवरण में की गई मुख्य सिफारिशों पर एक नजर

- **स्वैच्छिक स्थानांतरण:** वनवासियों का वनों से स्थानांतरण बिना किसी दबाव या प्रलोभन के **स्वतंत्र रूप से और अग्रिम एवं सूचित सहमति** पर ही आधारित होना चाहिए।
  - **वन अधिकार अधिनियम (FRA)** वनवासियों को वनों से जबरदस्ती बाहर निकालने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
    - FRA के तहत, किसी वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों या अन्य परम्परागत वन निवासियों को उनके द्वारा उपयोग की जा रही वन भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा या हटाया नहीं जाएगा, जब तक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।
    - यह कानून **राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और टाइगर रिज़र्व** पर लागू होता है।
- **पर्यावरण और जनजातीय कार्य मंत्रालयों** द्वारा संयुक्त रूप से **समुदाय-केंद्रित संरक्षण और पुनर्वास (NFCCR)** के लिए एक **राष्ट्रीय फ्रेमवर्क** स्थापित करना चाहिए।

वनवासियों के स्थानांतरण के समक्ष प्रमुख चुनौतियां

- **अधिकार बनाम संरक्षण मॉडल:** वन संरक्षण संबंधी पारंपरिक मॉडल में स्थानीय लोगों को साझेदार की बजाय खतरे के रूप में देखा जाता है। इससे FRA का समावेशिता आधारित दृष्टिकोण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।
- **आजीविका में व्यवधान:** वन संसाधनों तक पारंपरिक पहुंच पर प्रतिबंध और संरक्षित क्षेत्रों से स्थानांतरण के कारण कई वनवासी समूहों की आजीविका को नुकसान पहुंचता है।
- **असमान विकास और क्षेत्रीय असमानता:** वनों पर निर्भर जनजातीय क्षेत्र अक्सर अवसंरचना, कौशल, एवं सेवाओं की कमी से जूझते हैं। ये क्षेत्र उन उच्च-आय वाले राज्यों के मुकाबले पीछे रह जाते हैं, जो आधुनिक सेवाओं और बेहतर सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **सतत विकास लक्ष्य:** इसमें SDG-1 (गरीबी उन्मूलन) और SDG-13 (जलवायु कार्रवाई) के बीच संतुलन बनाना शामिल है।

आगे की राह

- **सह-प्रबंधन द्वारा संरक्षण:** वनवासियों को संरक्षक और सह-प्रबंधक के रूप में मानना चाहिए, न कि विरोधी के रूप में।
- **स्वस्थाने विकास:** स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, बाजार पहुंच और परिवहन की सुविधाओं को प्राथमिकता देकर संधारणीय सह-अस्तित्व को सक्षम बनाना चाहिए।
- **देशज ज्ञान को समेकित करना:** संरक्षण योजनाओं में पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं को शामिल और लागू किया जाना चाहिए।
- **सशर्त राजकोषीय प्रोत्साहन:** इसके तहत केंद्रीय/ राज्य अंतरण को FRA के मापनीय कार्यान्वयन और सह-प्रबंधन संबंधी परिणामों से जोड़ना चाहिए।

अन्य सुर्खियां

चक्रवात मोंथा

चक्रवात मोंथा **बंगाल की खाड़ी के तट से टकराया।**

चक्रवात मोंथा के बारे में:

- **अर्थ:** "मोंथा" का मतलब **थाई भाषा में एक सुगंधित फूल** होता है।
- **उष्णकटिबंधीय चक्रवात**
  - ये **वाताग्र रहित, निम्न दाब युक्त और तेजी से घूर्णन करने वाले चक्रवातीय तंत्र** होते हैं। इनकी उत्पत्ति **उष्णकटिबंधीय महासागरों** में होती है।
  - **इन्हें अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है—**
    - अटलांटिक महासागर में **हरिकेन,**
    - पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में **टाइफून,** तथा
    - पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में **विली-विली** कहा जाता है।
- **उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए अनिवार्य दशाएं:**
  - **समुद्र की सतह का तापमान 27°C से अधिक** होना चाहिए।
  - **कोरिओलिस बल** की उपस्थिति।
  - **पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब क्षेत्र होना** आवश्यक है।

भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI)

पुनर्वास शिक्षा को आधुनिक और सबके लिए सुलभ बनाने हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) ने कई सुधार शुरू किए।

भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) के बारे में

- **स्थापना:** इसे **वर्ष 1986** में एक **पंजीकृत संस्था** के रूप में स्थापित किया गया था और **वर्ष 1993** में यह एक **वैधानिक निकाय** बन गई थी। यह **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** के अंतर्गत कार्य करती है।
- **उद्देश्य:**
  - दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास से जुड़ी **प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित** करना।
  - दिव्यांग व्यक्तियों के साथ कार्य करने वाले पेशेवरों के लिए **प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एकरूपता और मानकीकरण** लाना।

पहुंच और लाभ साझाकरण या एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS)

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने लाल चन्दन (रेड सैंडर्स) की खेती करने वालों के लिए निधि जारी की है। यह ABS फ्रेमवर्क के तहत भारत के जैविक संसाधनों के संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कदम है।

पहुंच और लाभ साझाकरण (ABS) के बारे में

- यह इस से संबंधित है कि जैविक संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है और उनके उपयोग से प्राप्त लाभों को उपयोगकर्ताओं एवं प्रदाताओं के बीच कैसे उचित रूप से बांटा जाता है।
- **फ्रेमवर्क:** इसे **जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD)** के तहत कवर किया गया है।
  - **बोन दिशा-निर्देश और नागोया प्रोटोकॉल (2010)** ABS से संबंधित हैं।
- भारत में, इसे **जैव विविधता अधिनियम, 2002** के तहत शासित किया जाता है।

8वां केंद्रीय वेतन आयोग

मंत्रिमंडल ने **8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों (Terms of Reference)** को मंजूरी दी।

- केंद्रीय वेतन आयोग **केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों** की समीक्षा करता है तथा उनमें बदलाव की सिफारिश करता है।

8वें केंद्रीय वेतन आयोग के बारे में

- यह आयोग एक **अस्थायी निकाय** है। इसमें **एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य, और एक सदस्य-सचिव** शामिल है।
- यह अपने गठन के **18 महीने** के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
- आयोग **आर्थिक स्थिति, वित्तीय अनुशासन, गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की लागत, राज्य वित्त, और सार्वजनिक (CPSUs) व निजी क्षेत्रक के वेतन ढांचे** को ध्यान में रखेगा।
- 8वें आयोग की सिफारिशें **1 जनवरी 2026** से लागू होने की उम्मीद है।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS)

20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में **"शांति और स्थिरता पर कुआलालंपुर घोषणा-पत्र"** को अपनाया गया।

- इस घोषणा-पत्र का उद्देश्य **EAS कार्य योजना (2024–2028)** के तहत **संयुक्त परियोजनाओं और गतिविधियों** को लागू करना है। यह **आसियान 2045: आवर शेयर्ड फ्यूचर विज़न** के अनुरूप है।
- **पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) के बारे में**
  - **परिचय:** यह पूर्वी एशिया में **शांति, स्थिरता और समृद्धि** को बढ़ावा देने के लिए **नेताओं के नेतृत्व वाला** एक मंच है। इसमें **रणनीतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक** मुद्दों पर संवाद व सहयोग किया जाता है।
  - **उत्पत्ति:** इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसका पहला शिखर सम्मेलन **कुआलालंपुर (मलेशिया)** में आयोजित किया गया था।
  - **स्वरूप:** इसमें **सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार प्रमुखों की वार्षिक बैठक** होती है।
  - **सदस्य:** **आसियान के सदस्य देश** तथा इनके साथ **ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस** शामिल हैं।

अमेज़नफ़ेस

ब्राज़ील में वैज्ञानिकों ने **मनौस** के पास **अमेज़नफ़ेस (मुक्त-वायु CO_2 संवर्धन)** प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके जरिये **भविष्य में वायुमंडलीय CO_2 स्तरों के प्रति अमेज़न वर्षावन की प्रतिक्रिया का अध्ययन** किया जाएगा।

अमेज़नफ़ेस के बारे में

- इस परियोजना का उद्देश्य **भविष्य के वातावरण का अनुकरण (simulate)** करना और यह जानना है कि **उष्णकटिबंधीय वन बढ़ते CO_2, तापमान और आर्द्रता** के साथ कैसे अनुकूलन करते हैं।
  - यह प्रोजेक्ट **कार्बन अवशोषण क्षमता, प्रकाश संश्लेषण और वनों की सहनशीलता** को समझने के लिए हर **10 मिनट में CO_2 अवशोषण की लगातार निगरानी** करेगा।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

तुर्किये (राजधानी: अंकारा)

- तुर्किये के **बलिकेसिर प्रांत में 6.1 तीव्रता** का भूकंप आया।

भौगोलिक अवस्थिति

- **अवस्थिति:** इसकी अनूठी भौगोलिक स्थिति है। यह आंशिक रूप से **एशिया** और आंशिक रूप से **यूरोप** में स्थित है।
- **सीमाएं:** इसके उत्तर-पूर्व में **जॉर्जिया और आर्मेनिया;** उत्तर-पश्चिम में **ग्रीस एवं बुल्गारिया;** पूर्व में **अजरबैजान और ईरान;** तथा दक्षिण-पूर्व में: **इराक और सीरिया** स्थित हैं।
  - यह उत्तर में **काला सागर** तथा दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम में **भूमध्य सागर एवं एजियन सागर** से घिरा हुआ है।

भौगोलिक विशेषताएं

- **प्रमुख नदियां: यूफ्रेट्स, टाइग्रिस** आदि।
- **सर्वोच्च बिंदु: माउंट अरारत** (5,165 मीटर)।
- **महत्वपूर्ण जलडमरूमध्य: बोस्फोरस जलडमरूमध्य** और **डार्डानेल्स जलडमरूमध्य**।
  - **मरमारा सागर:** यह एक **अंतर्देशीय** सागर है। यह **बोस्फोरस और डार्डानेल्स जलडमरूमध्य** के माध्यम से **काला सागर व एजियन सागर** को जोड़ता है।